रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 115] नई दिल्ली, बुधवार, मई 24, 1972/ज्येष्ठ 3, 1894

No. 115] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 24, 1972/JYAISTHA 3, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 24th May 1972

SUBJECT:—*Import of raw materials, components and spares by large scale units (both D.G.T.D. and non-D.G.T.D.) engaged in industries other than priority industries for the period April* 1972—*March* 1973.

No. 74-ITC(PN)/72.—Attention is invited to para 27 of Section I of the Policy Red Book (Vol. I) for April 1972-March 1973 in terms of which annual licences for raw materials, components and spares issued to large scale industrial units will be subject to the condition that the licensee shall not be permitted to make remittances against his licence for a value exceeding 50 per cent of the value of the licence during the first six months of the validity period of the import licence.

2. On review of the position, it has been decided that the annual licence for import of raw materials, components and spares issued to such units will be subject to the condition that the licensee shall not be permitted to make remittance against his licence for a value exceeding 50 per cent of the value of the licence during the first six months of the licensing period April 1972-March 1973.

3. Paragraph 27 of Section I of the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol. I) for April 1972-March 1973 period may be deemed to have been amended accordingly.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 24 मई, 1972

विषय.—अप्रैल, 1972–मार्च, 1973 अवधि के लिए प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों से भिन्न उद्योगों में लगे हुए वृहत पैमाने के एककों (डी०जी० टी०डी० और गैर-डी० जी० टी० डी० दोनों) द्वारा कच्चे माल, संघटकों तथा फालतू पुर्जों का आयात ।

संख्या 74-आई० टी०सी० (पी०एन०)/72.—अप्रैल, 1972—मार्च, 1973 अवधि के लिए नीति रेडबुक (वा० 1) के खंड–1 की कंडिका 27 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसकी शर्तों के अनुसार वृहत् पैमाने के औद्योगिक एककों को जारी किए गए लाइसेंस इस शर्त के अधीन होंगे कि लाइसेंसधारी को आयात लाइसेंस की वैध अवधि के प्रथम 6 मास के दौरान लाइसेंस के मूल्य के 50 प्रतिशत मूल्य से ज्यादा के लिए उसके लाइसेंस के मद्दे प्रेषण करने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी ।

2. स्थिति की पुनरीक्षा कर, यह निश्चय किया गया है कि ऐसे एककों को कच्चे माल, संघटकों तथा फालतु पुर्जों के आयात के लिए जारी किया गया वार्षिक लाइसेंस इस शर्त के अधीन होगा कि लाइसेंसधारी को लाइसेंस अवधि अप्रैल, 1972–मार्च, 1973 के प्रथम छः मास के दौरान लाइसेंस के मूल्य के 50 प्रतिशत मूल्य से ज्यादा मूल्य के लिए उसके लाइसेंस के मद्दे प्रेषण करने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी ।

3. तदनुसार, अप्रैल, 1972—मार्च, 1973 के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड-बुक वा० 1) के खंड 1 की कंडिका 27 को संशोधित किया गया समझा जाए ।

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972